मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कुचामन सिटी जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0)

पीठासीन अधिकारीः– सुन्दर लाल खारोल, RJS,
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

---

(1) **एम.ए.सी.प्र.सं. 71/2022(71/2022(54/2022))**

1– श्रीमती कुसुम पत्नी रामेश्वर निवासी बडला का बास, कुचामन सिटी, जिलाः डीडवाना–कुचामन।

2– रामेश्वरलाल पुत्र गंगाराम निवासी बडला का बास, कुचामन सिटी जिलाः डीडवाना–कुचामन।

—–याचिकाकर्तागण

बनाम

1– सत्येन्द्रसिंह पुत्र सरदार जगजीतसिंह निवासी बी–1/581 गुल चमन गली पुलिस थाना डिवीजन नम्बर–3 लुधियाना, पंजाब
(ट्रक संख्या पी.बी.–10 सी.डब्ल्यू.–5695 का चालक व पंजीकृत स्वामी)

2– इफको टोकिया जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड इण्डिया, द्वितीय फ्लोर, भगवती भवन, गवर्नमेंट हॉस्टल क्रॉसिंग, एम.आई. रोड़ जयपुर।
(ट्रक संख्या पी.बी.–10 सी.डब्ल्यू.–5695 की बीमा कम्पनी)

—–विपक्षीगण

(2) **एम.ए.सी.प्र.सं. 97/2022(97/2022(55/2022))**

1– श्रीमती संतोषदेवी पत्नी जगदीश निवासी बडला का बास, कुचामन सिटी जिलाः डीडवाना–कुचामन।

2– जगदीश पुत्र लादुराम निवासी बडला का बास, कुचामन सिटी जिलाः डीडवाना–कुचामन।

—–याचिकाकर्ता

बनाम

1– सत्येन्द्रसिंह पुत्र सरदार जगजीतसिंह निवासी बी–1/581 गुल चमन गली पुलिस थाना डिवीजन नम्बर–3 लुधियाना, पंजाब
(ट्रक संख्या पी.बी.–10 सी.डब्ल्यू.–5695 का चालक व पंजीकृत स्वामी)

2– इफको टोकिया जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड इण्डिया, द्वितीय फ्लोर, भगवती भवन, गवर्नमेंट हॉस्टल क्रॉसिंग, एम.आई. रोड़ जयपुर।
(ट्रक संख्या पी.बी.–10 सी.डब्ल्यू.–5695 की बीमा कम्पनी)

—–विपक्षीगण

–: उपस्थिति :–

1. याचिकाकर्तागण की ओर से	–	अधिवक्ता, श्री अनिल कुमावत।
2. विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध	–	एक पक्षीय कार्यवाही।
3. विपक्षी सं. 2 की ओर से	–	अधिवक्ता, श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़।

याचिका संख्या– 71/2022(54/2022)) प्रस्तुत करने की दिनांक	17–05–2022
याचिका संख्या– 97/2022(97/2022(55/2022)) प्रस्तुत करने की दिनांक	17–05–2022
याचिका संख्या 71/2022(54/2022) व 97/2022(55/2022) में विपक्षी संख्या–1 की ओर से जवाब प्रस्तुत करने की दिनांक	–
याचिका संख्या–71/2022(54/2022) में विपक्षी संख्या–2 की ओर से जवाब प्रस्तुत करने की दिनांक	05–04–2023
याचिका संख्या–97/2022(55/2022) में विपक्षी संख्या–2 की ओर से जवाब प्रस्तुत करने की दिनांक	05–04–2023
याचिकाओं संख्या 71/2022(54/2022) में विवाद्यक विरचित करने की दिनांक	17–05–2023
याचिकाओं संख्या 97/2022(55/2022) में विवाद्यक विरचित करने की दिनांक	17–05–2023
याचिका संख्या 71/2022(54/2022) में साक्ष्य प्रार्थीगण की दिनांक	17–05–2023
याचिका संख्या 97/2022(55/2022) में साक्ष्य प्रार्थीगण की दिनांक	17–05–2023
याचिका संख्या 71/2022(54/2022) व 97/2022(55/2022) को समेकित करने की दिनांक	17–01–2024
साक्ष्य अप्रार्थीगण की दिनांक	17–01–2024
बहस अंतिम की दिनांक	14–05–2026
अधिनिर्णय की दिनांक	14–05–2026

गवाहान सूची

(अ) **याचिकाकर्तागण गवाहान्**

क.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
याचिका संख्या 71/2022(54/2022)		
ए.ड.–1	रामेश्वरलाल	स्वयं याचिकाकर्ता
ए.ड.–2	लक्ष्मीनारायण	याचिकाकर्ता समर्थित गवाह
याचिका संख्या 97/2022(55/2022)		
ए.ड.–1	जगदीश	स्वयं याचिकाकर्ता

(ब) विपक्षीगण गवाहान्

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
एन.ए.ड.–1	अमित सिंह	बीमा कम्पनी का गवाह

(स) अधिकरण द्वारा तलब किया गया गवाह

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

दस्तावेजात की सूची

(अ) याचिकाकर्ता के दस्तावेजातः–

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श–1	चॉक एफ.आई.आर.
2	प्रदर्श–2	तहरीरी रिपोर्ट
3	प्रदर्श–3	फर्द नक्शा मौका
4	प्रदर्श–4	अंतिम परिणाम
5	प्रदर्श–5	फर्द पंचनामा व फर्द सूरतहाल लाश मृतक गौरव
6	प्रदर्श–6	फर्द सुपुर्दगीनामा लाश
7	प्रदर्श–7	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक गौरव
8	प्रदर्श–8	फर्द निरीक्षण मोटरसाईकिल
9	प्रदर्श–9	नोटिस 133 एम.वी.एक्ट
10	प्रदर्श–10	फर्द जब्ती ट्रक
11	प्रदर्श–11	एम.टी.ओ. रिपोर्ट
12	प्रदर्श–12	एमटीओ रिपोर्ट तहरीर
13	प्रदर्श–13	एम परिवहन स्टेटस रिपोर्ट
14	प्रदर्श–14	बीमा कवर नोट
15	प्रदर्श–15	प्रदूषण प्रमाण–पत्र
16	प्रदर्श–16	डी.एल. ट्रक चालक सत्येन्द्र
17	प्रदर्श–17	परमिट
18	प्रदर्श–18	आर.सी.
19	प्रदर्श–19	डिलेवरी चालान

20	प्रदर्श–20	ई–वे बिल संख्या–2
21	प्रदर्श–21	मृतक गौरव का डिप्लोमा
22	प्रदर्श–22	मृतक गणेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
23	प्रदर्श–23	फर्द सुपुर्दगीनामा लाश मृतक गणेश
24	प्रदर्श–24	फर्द निरीक्षण लाश व पंचनामा मृतक गणेश

(ब) विपक्षीगण के दस्तावेजात

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श एन.ए.–1	प्रीमियम रिकवरी लेटर
2	प्रदर्श एन.ए.–2	बीमा पॉलिसी निरस्त करने बाबत् दिया गया नोटिस
3	प्रदर्श एन.ए.–3	बीमा कम्पनी द्वारा परिवहन कार्यालय को दिया गया नोटिस
4	प्रदर्श एन.ए.–4	स्पीड ऑफिस का बिल
5	प्रदर्श एन.ए.–5	स्पीड पोस्ट के बिल की इनवॉईस
6	प्रदर्श एन.ए.–6	आई.आर.डी.ए. का सर्कुलर
7	प्रदर्श एन.ए.–7	अधिवक्ता द्वारा वाहन स्वामी को दिया गया नोटिस
8	प्रदर्श एन.ए.–8	रजिस्टर्ड ए.डी. की रसीद
9	प्रदर्श एन.ए.–9	लिफाफा
10	प्रदर्श एन.ए.–10	प्रपोजल फॉर्म
11	प्रदर्श एन.ए.–11	ऑनलाईन पॉलिसी खरीदने का प्रोसेस

(स) अधिकरण दस्तावेजात

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
—	—	-

याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988

दिनांक :– 14–05–2026

–:: अधिनिर्णय ::–

1. याचिकाकर्तागण श्रीमती कुसुम व अन्य एवं श्रीमती संतोष व अन्य की ओर से यह दोनों याचिकाएं अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध पृथक–पृथक प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त याचिकाओं के एक ही दुर्घटना से सम्बन्धित होने के कारण उभय

पक्षकारान की प्रार्थना पर 71/2022(54/2022) व 97/2022(55/2022) को दिनांक 17–01–2024 को समेकित किए जाने के कारण उक्त दोनों याचिकाओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा हैं।

2. याचिकाकर्तागण के द्वारा अपनी–अपनी याचिका में समान रूप से यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 17–08–2021 को मृतक गणेश व गौरव मोटरसाईकिल संख्या आर.जे.37–एस.एन.–5577 से कुचामन से किशनगढ जा रहे थे। जब वे दरदुंड गांव के पास पहुंचे तो एक ट्रक रूपनगढ से परबतसर जा रहा था। उक्त ट्रक के चालक विपक्षी संख्या–1 सत्येन्द्र सिंह ने अपने वाहन ट्रक संख्या पी.बी.–10–सी.डब्ल्यू. 5695 को तेजगति व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल के जोरदार टक्कर मारी, जिससे गौरव की मौके पर मृत्यु हो गई। गणेश घायल हो गया, जिसको ईलाज हेतु रूपनगढ अस्पताल ले गये, जहॉ से अजमेर रेफर किया गया। दौराने ईलाज अजमेर में गणेश की भी मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना गांव के ही लक्ष्मीनारायण एवं गिरधारी ने देखी है, जो किसी कार्य से रूपनगढ जा रहे थे। प्रश्नगत दुर्घटना विपक्षी संख्या–1 की गलती व लापरवाही के कारण घटित हुई है।

3. याचिकाकर्तागण ने याचिकाओं में आगे यह वर्णित किया है कि वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या–1 वाहन ट्रक संख्या पी.बी.–10–सी.डब्ल्यू. 5695 का चालक व पंजीकृत स्वामी था एवं प्रश्नगत वाहन वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या–2 बीमा कम्पनी के यहॉ बीमित था। इसलिए विपक्षीगण से संयुक्त व पृथक–पृथक रूप से याचिकाकार्तागण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है।

4. **<u>एम.ए.सी.प्र.सं. 71/2022 (54/2022)</u>** के याचिकाकर्तागण श्रीमती कुसुम व अन्य ने याचिका में आगे यह वर्णित किया है कि वक्त दुर्घटना मृतक गौरव 22 वर्षीय स्वस्थ, हृष्ट–पुष्ट नवयुवक था। वह मेकेनिकल डीजल का कार्य कर प्रतिमाह 20,000/–रूपये की आय प्राप्त करता था। मृतक गौरव की असामयिक मृत्यु होने से याचिकाकर्तागण को मानसिक व आर्थिक क्षति हुई है। याचिकाकर्तागण अपने पुत्र के प्रेम, स्नेह, संरक्षण एवं सेवा से सदा के लिए वंचित हो गए है। इसलिये याचिकाकर्तागण श्रीमती कुसुम व अन्य ने विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 78,50,000/–रूपये मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दिलाये जाने का निवेदन किया है।

5. **एम.ए.सी.प्र.सं. 97/2022(55/2022)** के याचिकाकर्तागण श्रीमती संतोष देवी व अन्य ने यह अभिकथित किया है कि वक्त दुर्घटना मृतक गणेश 22 वर्षीय स्वस्थ, हृष्ट–पुष्ट नवयुवक था। वह कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य कर प्रतिमाह 20,000/–रूपये की आय प्राप्त करता था। मृतक गणेश की असामयिक मृत्यु होने से याचिकाकर्तागण को मानसिक व आर्थिक क्षति हुई है। याचिकाकर्तागण अपने पुत्र के प्रेम, स्नेह, संरक्षण एवं सेवा से सदा के लिए वंचित हो गए है। इसलिये याचिकाकर्तागण श्रीमती संतोष व अन्य ने विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 78,50,000/–रूपये मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दिलाये जाने का निवेदन किया है।
6. विपक्षी संख्या–1 के बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर याचिका संख्या 71/2022 व 97/2022 में एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए।
7. विपक्षी संख्या–2 ने याचिकाओं का पृथक–पृथक जवाब प्रस्तुत कर संयुक्त रूप से यह अभिकथित किया है कि बीमा कमपनी द्वारा वाहन पी.बी.–10 सी.डब्ल्यू. 5695 का किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम वाहन स्वामी से प्राप्त नहीं किया गया है। वाहन स्वामी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाहन को सुपुर्दगी पर लेने हेतु जो बीमा पॉलिसी पेश की है, वह फर्जी तैयार कर पेश की गई है। यह पॉलिसी विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा जारी नहीं की गई है। बीमा कम्पनी द्वारा वाहन संख्या पी.बी.–10 सी.डब्ल्यू. 5695 होण्डा एक्टिवा के लिए वाहन स्वामी से ऑनलाईन प्रीमियम ली गई है, जो कि वाहन स्वामी द्वारा बीमा कम्पनी को धोखे में रखकर प्राप्त की गई है। बीमा कम्पनी द्वारा वाहन ट्रक संख्या पी.बी.–10–सी.डब्ल्यू. 5695 का कोई बीमा नहीं किया है। याचिकाकर्तागण ने बढाचढाकर मृतकगण की आय अंकित की है। वक्त दुर्घटना ट्रक संख्या पी.बी.–10–सी.डब्ल्यू. 5695 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी अनुज्ञापत्र नहीं था। वक्त दुर्घटना वाहन स्वामी द्वारा बिना परमिट व फिटनेश के वाहन का परिचालन किया जा रहा था। इस कारण वाहन स्वामी द्वारा बीमा शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण बीमा कम्पनी का कोई दायित्व प्रतिकर राशि की अदायगी का नहीं बनता है। इसलिए याचिकाकर्तागण की याचिकाऐं खारिज किये जाने का निवेदन किया

है।

8. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर याचिका संख्या 71/2022(54/2022) में अधिकरण द्वारा निम्नानुसार विववाद्यक विरचित किए गए हैः–

1. आया दिनांक 17–8–2021 को वाहन ट्रक संख्या पी.बी.–10–सी. डब्ल्यू. 5695 के चालक विपक्षी संख्या–1 द्वारा अपने वाहन को तेजगति, लापरवाही एवं असावधानी से चलाकर दुर्घटना कारित की, जिसके कारण आई चोटों से गौरव उर्फ अजय पुत्र रामेश्वर की मृत्यु कारित हुई?

––याचिकाकर्तागण

2. आया विपक्षी संख्या–1 वाहन चालक व स्वामी के उक्त वाहन को अपने नियोजन में चला रहा था और इसी नियोजन काल में यह दुर्घटना कारित हुई है?

––याचिकाकर्तागण

3. आया विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व अतिरिक्त कथन में अंकित आपत्तियों का क्या प्रभाव है?

––विपक्षीगण

4. आया याचिकाकर्तागण, विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि 78,50,000/–रूपये अक्षरे अठहतर लाख पचास हजार रूपये मय 12 प्रतिशत ब्याज से प्राप्त करने के अधिकारी है?

––याचिकाकर्तागण

5. अनुतोष?

9. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर याचिका संख्या 97/2022(55/2022) में अधिकरण द्वारा निम्नानुसार विववाद्यक विरचित किए गए है, जो निम्न प्रकार से हैः–

1. आया दिनांक 17–8–2021 को वाहन ट्रक संख्या पी.बी.–10–सी. डब्ल्यू. 5695 के चालक विपक्षी संख्या–1 द्वारा अपने वाहन को तेजगति, लापरवाही एवं असावधानी से चलाकर दुर्घटना कारित की, जिसके कारण आई चोटों से गणेश पुत्र जगदीश की मृत्यु कारित हुई?

––याचिकाकर्तागण

2. आया विपक्षी संख्या–1 वाहन चालक व स्वामी के उक्त वाहन को अपने नियोजन में चला रहा था और इसी नियोजन काल में यह दुर्घटना कारित हुई है?

––याचिकाकर्तागण

3. आया विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व अतिरिक्त कथन में अंकित आपत्तियों का क्या प्रभाव है?

––विपक्षीगण

4. आया याचिकाकर्तागण, विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि 78,50,000/–रूपये अक्षरे अठहतर लाख पचास हजार रूपये मय 12 प्रतिशत ब्याज से प्राप्त करने के अधिकारी है?

—–याचिकाकर्तागण

5. अनुतोष?

10. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर समेकित दोनों याचिकाओं के निस्तारण हेतु अधिकरण द्वारा निर्णय के दौरान सुविधा हेतु निम्नानुसार समेकित विवाद्यक विरचित किये जाते है, जो निम्न प्रकार से हैः–

1. आया दिनांक 17–8–2021 को वाहन ट्रक संख्या पी.बी.–10–सी. डब्ल्यू. 5695 के चालक विपक्षी संख्या–1 द्वारा अपने वाहन को तेजगति, लापरवाही एवं असावधानी से चलाकर दुर्घटना कारित की, जिसके कारण आई चोटों से गौरव उर्फ अजय पुत्र रामेश्वर व गणेश पुत्र जगदीश की मृत्यु कारित हुई?

—–याचिकाकर्तागण

2. आया विपक्षी संख्या–1 वाहन चालक व स्वामी के उक्त वाहन को अपने नियोजन में चला रहा था और इसी नियोजन काल में यह दुर्घटना कारित हुई है?

—–याचिकाकर्तागण

3. आया विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व अतिरिक्त कथन में अंकित आपत्तियों का क्या प्रभाव है?

—–विपक्षीगण

4. आया याचिकाकर्तागण, विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि 78,50,000, 78,50,000/–रूपये मय 12 प्रतिशत ब्याज से प्राप्त करने के अधिकारी है?

—–याचिकाकर्तागण

5. अनुतोष?

11. उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में याचिका संख्या 71/2022 के याचिकाकर्तागण की ओर से ए.ड.–1 रामेश्वरलाल एवं ए.ड.–2 लक्ष्मीनारायण को एवं याचिका संख्या 97/2022 के याचिकागण की ओर से ए.ड.–1 जगदीश **(सुविधा के लिए आगे ए.ड.–1 जगदीश को ए.ड.–3 जगदीश के रूप में पढा जावेगा)** को परीक्षित करवाया गया है। याचिकाकर्तागण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–24 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है।

12. विपक्षीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में एन.ए.ड.–1 अमितसिंह को परीक्षित

करवाया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श एन.ए.—1 लगायत प्रदर्श एन.ए.—11 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया है।

13. उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

14. विद्वान अधिवक्तागण याचिकाकर्तागण ने मौखिक बहस के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि दिनांक 17—08—2021 को मृतक गणेश व गौरव मोटरसाईकिल संख्या आर.जे.37—एस.एन.—5577 से कुचामन से किशनगढ जा रहे थे। जब वे दरदुंड गांव के पास पहुंचे तो एक ट्रक रूपनगढ से परबतसर जा रहा था। उक्त ट्रक के चालक विपक्षी संख्या—1 सत्येन्द्र सिंह ने अपने वाहन ट्रक संख्या पी.बी.—10—सी.डब्ल्यू. 5695 को तेजगति व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल के जोरदार टक्कर मारी, जिससे गौरव एवं गणेश के गम्भीर चोटें आने की कारण उनकी मृत्यु हुई है। प्रश्नगत दुर्घटना के घटित होने में एकमात्र गफलत एवं लापरवाही विपक्षी संख्या—1 की रही है। प्रश्नगत दुर्घटना के दौरान विपक्षी संख्या—1 के वाहन चालक व स्वामी होने एवं विपक्षी संख्या—2 के वाहन की बीमा कम्पनी होने के कारण विपक्षीगण का संयुक्ततः एवं पृथकतः रूप से दायित्व आरोपित दुर्घटना में पूर्णतया प्रमाणित है। याचिकाकर्तागण की ओर से जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उनके खण्डन में विपक्षीगण की किसी भी प्रकार की कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को अस्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्तागण अपनी याचिकाओं में अभिकथित किये गये तथ्यों के अनुरूप विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है और इसी अनुरूप याचिकाकर्तागण की याचिकाएं स्वीकार कर वांछित अनुतोष दिलाये जाने का निवेदन किया।

15. विपक्षी संख्या—1 के विरूद्ध एकतरफ कार्यवाही के आदेश है।

16. विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या—2 बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किए है कि बीमा कमपनी द्वारा वाहन पी.बी.—10 सी.डब्ल्यू. 5695 का किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम वाहन स्वामी से प्राप्त नहीं किया गया है। वाहन स्वामी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाहन को सुपुर्दगी पर लेने हेतु जो बीमा पॉलिसी

पेश की है, वह फर्जी तैयार कर पेश की गई है। यह पॉलिसी विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा जारी नहीं की गई है। बीमा कम्पनी द्वारा वाहन संख्या पी.बी.–10 सी.डब्ल्यू. 5695 होण्डा एक्टिवा के लिए वाहन स्वामी से ऑनलाईन प्रीमियम ली गई है, जो कि वाहन स्वामी द्वारा बीमा कम्पनी को धोखे में रखकर प्राप्त की गई है। बीमा कम्पनी द्वारा वाहन ट्रक संख्या पी.बी.–10–सी.डब्ल्यू. 5695 का कोई बीमा नहीं किया है। याचिकाकर्तागण ने बढाचढाकर मृतकगण की आय अंकित की है। वक्त दुर्घटना ट्रक संख्या पी.बी.–10–सी.डब्ल्यू. 5695 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी अनुज्ञापत्र नहीं था। वक्त दुर्घटना वाहन स्वामी द्वारा बिना परमिट व फिटनेश के वाहन का परिचालन किया जा रहा था। इस कारण वाहन स्वामी द्वारा बीमा शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण बीमा कम्पनी का कोई दायित्व प्रतिकर राशि की अदायगी का नहीं बनता है। इसलिए याचिकाकर्तागण की याचिकाऐं खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

17.उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। याचिकाओं में जो समेकित विवाद्यक विरचित किये गये हैं, उन पर इस अधिकरण का निष्कर्ष निम्न प्रकार से हैः–

<u>विवाद्यक संख्या–1 व 2:</u>

18.अधिकरण द्वारा विवाद्यक संख्या–1 व 2 निम्न प्रकार से विरचित किए गए है किः–

1. **आया दिनांक 17–8–2021 को वाहन ट्रक संख्या पी.बी. –10–सी.डब्ल्यू. 5695 के चालक विपक्षी संख्या–1 द्वारा अपने वाहन को तेजगति, लापरवाही एवं असावधानी से चलाकर दुर्घटना कारित की, जिसके कारण आई चोटों से गौरव उर्फ अजय पुत्र रामेश्वर व गणेश पुत्र जगदीश की मृत्यु कारित हुई?**
2. **आया विपक्षी संख्या–1 वाहन चालक व स्वामी के उक्त वाहन को अपने नियोजन में चला रहा था और इसी नियोजन काल में यह दुर्घटना कारित हुई है?**

19.उक्त दोनों विवाद्यकों के एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से उक्त दोनों विवाद्यकों

का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। विवाद्यक संख्या–1 व 2 को प्रमाणित करने का भार याचिकाकर्तागण पर है। उपरोक्त विवाद्यकों के संबधं में याचिकाकर्तागण की ओर से ए.ड.–1 रामेश्वरलाल, ए.ड.–2 लक्ष्मीनारायण एवं ए.ड.–3 जगदीश को परीक्षित करवाया गया है।

20. याचिकाकर्ता ए.ड.–1 रामेश्वरलाल व ए.ड.–3 जगदीश ने अपने–अपने मुख्य परीक्षण के दौरान याचिका में वर्णितानुसार ही साक्ष्य देते हुए समान रूप से यह कथन किये है कि दिनांक 17–08–2021 को गौरव उर्फ अजय व गणेश मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे. 37–एस.एन.–5577 से कुचामन से किशनगढ़ जा रहे थे। जब वे दरदुंड गांव के पास पहुंचे, तो ट्रक नम्बर पीबी–10 सी.डब्ल्यू. 5695 रूपनगढ़ से परबतसर की तरफ आ रहा था, जिसने गौरव व गणेश की मोटरसाईकिल के जोरदार टक्कर मारी, जिससे गौरव की मृत्यु मौके पर ही हो गई थी। गणेश की अजमेर में दौरान ईलाज चिकित्सालय में मृत्यु हो गई। दुर्घटना की सूचना पीछे चल रहे लक्ष्मीनारायण व गिरधारी ने दी। दुर्घटना की रिपोर्ट राजूराम ने दर्ज करवाई थी।

21. उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अपने–अपने मुख्य परीक्षण के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य में चॉक एफ.आई.आर प्रदर्श 01, तहरीरी रिर्पोट प्रदर्श 02, नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श 03, अंतिम परिणाम प्रदर्श 04, फर्द पंचनामा व सूरतहाल मृतक गौरव प्रदर्श 05, फर्द सुपुर्दगीनामा लाश मृतक गौरव प्रदर्श 06, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक गौरव प्रदर्श 07, फर्द निरीक्षण मोटरसाईकिल प्रदर्श 08, 133 एमवी एक्ट नोटिस सत्येन्द्र सिंह प्रदर्श 09, फर्द जप्ती ट्रक प्रदर्श 10, एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श 11, एमटीओ रिपोर्ट तहरीर प्रदर्श 12, एम परिवहन स्टेट्स रिपोर्ट प्रदर्श 13, इंश्योरेंस कवर नोट प्रदर्श 14, प्रदूषण प्रमाण पत्र प्रदर्श 15, ड्राईविंग लाईसेंस ट्रक चालक सत्येन्द्र प्रदर्श 16, परमिट प्रदर्श 17, आरसी ट्रक प्रदर्श 18, डिलिवरी चालान प्रदर्श 19, ई–वे बिल सख्या–02 प्रदर्श 20 को प्रदर्शित कराया है। इसके अतिरिक्त गवाह ए.ड.–1 रामेश्वर ने मृतक गौरव के कौशल विकास व उद्यमित विभाग द्वारा जारी डिप्लोमा को प्रदर्श 21 एवं गवाह ए.ड.–3 जगदीश द्वारा गणेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–22, फर्द सुपुर्दगीनामा लाश प्रदर्श–23 एवं फर्द निरीक्षण लाश व पंचनामा को प्रदर्श–24 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है।

22. उक्त दोनों ही साक्षीगण ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि वे दुर्घटना के समय दुर्घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। इस प्रकार यह गवाहान् घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं होकर मात्र सुनी–सुनाई बात के आधार पर साक्ष्य दे रहे है। इस कारण इन गवाहान् की साक्ष्य उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में प्रकरण पर महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है।

23. याचिकाकर्तागण की ओर से दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में ए.ड.–2 लक्ष्मीनारायण को परीक्षित कराया गया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि दिनांक 17–08–2021 को गौरव उर्फ अजय व गणेश मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे.–37 एस.एन.–5577 से कुचामन से किशनगढ़ जा रहे थे। जब वे दरदुंड गांव के पास पहुंचे, तो एक ट्रक नम्बर पीबी 10 सीडब्ल्यू 5695 रूपनगढ़ से परबतसर आ रहा था। उक्त वाहन ने गौरव व गणेश की मोटरसाईकिल के जोरदार टक्कर मारी, जिससे गौरव की मृत्यु मौके पर हो गई। गणेश को रूपनगढ़ चिकित्सालय ले जा गया, जहां से उसे रेफर अजमेर किया गया। उसके, गिरधारी व अन्य व्यक्तियों द्वारा गौरव व गणेश को राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। दौराने ईलाज गणेश की मृत्यु अजमेर चिकित्सालय में हो गयी। दुर्घटना की सूचना उसने व गिरधारी कुमावत ने गौरव व गणेश के घरवालों को दी। सूचना मिलने पर गौरव व गणेश के घरवाले राजूराम, रामेश्वर व गंगाराम अन्य व्यक्तियों के साथ राजकीय चिकित्सालय, रूपनगढ़ पहुंचे। जहां पर गौरव को मृत घोषित कर दिया था। दुर्घटना की रिपोर्ट राजूराम ने दर्ज करवाई थी। यह दुर्घटना उसने व गिरधारी ने देखी थी। दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही व उदासीनता के कारण घटित हुई थी। उक्त गवाह ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना बाबत उसने थाने में फोन नहीं किया था एवं ना ही एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाई थी।

24. विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत साक्षी एन.ए.ड.–1 अमित सिंह की साक्ष्य उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में नहीं होने के कारण उक्त गवाह की साक्ष्य का यहॉ विवेचन नहीं किया जा रहा है।

25. इस प्रकार याचिकाकर्तागण की ओर से परीक्षित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ए.ड.–2 लक्ष्मीनारायण ने स्पष्ट रूप से विपक्षी संख्या–1 वाहन ट्रक नम्बर पीबी 10

सीडब्ल्यू 5695 के चालक द्वारा वाहन को तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे.–37 एस.एन.–5577 के टक्कर मारने के कारण गौरव उर्फ अजय व गणेश की मृत्यु कारित होना अभिकथित किया है, जिसका कोई खण्डन विपक्षीगण की ओर से नहीं किया जा सका है। विपक्षीगण की ओर से ऐसी कोई मौखिक एवं दस्तावेजी ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रश्नगत दुर्घटना में वाहन ट्रक नम्बर पीबी 10 सीडब्ल्यू 5695 संलिप्त न हो।

26. याचिकाकर्तागण की उक्त मौखिक साक्ष्य के संदर्भ में यदि दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तो याचिकाकर्तागण की ओर से तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श–2 व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–1 को प्रदर्शित करवाया गया है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–2 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–1 संस्थित की गई है, जिसमें दुर्घटना वाहन ट्रक संख्या पी.बी.–10–सी.डब्लू–5695 से होने का तथ्य वर्णित किया गया है। इसी के साथ आरोप–पत्र प्रदर्श–4 के अवलोकन से पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान विपक्षी संख्या–1 सत्येन्द्र के विरूद्ध धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं 134/187 एमवी एक्ट के आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर सम्बंधित न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किए जाने का तथ्य दर्शित होता है। फर्द जब्ती प्रदर्श–10 के अवलोकन से भी प्रश्नगत वाहन ट्रक नम्बर पीबी 10 सीडब्ल्यू 5695 को ही दुर्घटना में आलिप्त मानकर दौराने अनुसंधान जब्त किए जाने का तथ्य दर्शित होता है।

27. इसके अतिरिक्त नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श–3 के अवलोकन से भी प्रश्नगत दुर्घटना विपक्षी संख्या–1 द्वारा अपने ट्रक नम्बर पीबी 10 सीडब्ल्यू 5695 को तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए गलत दिशा में जाकर मोटरसाईकिल के टक्कर मारने के कारण प्रश्नगत दुर्घटना घटित होने का तथ्य दर्शित होता है। धारा 133 एमवीएक्ट के नोटिस प्रदर्श–9 के अवलोकन से दुर्घटना दिनांक 17–08–2021 को वाहन ट्रक नम्बर पीबी 10 सीडब्ल्यू 5695 पर विपक्षी संख्या–1 सत्येन्द्र का चालक होने का तथ्य दर्शित होता है। इसी के साथ वाहन ट्रक नम्बर पीबी 10 सीडब्ल्यू 5695 की एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श–11 के अवलोकन से भी दुर्घटना दिनांक 17–8–2021 में उक्त वाहन का लिप्त होने का तथ्य दर्शित होता है। डी0एल0 प्रदर्श–16 के अवलोकन से वक्त

दुर्घटना विपक्षी संख्या–1 के पास वैध एवं प्रभावी डी0एल0 होने का तथ्य दर्शित होता है।

28. मृतक गौरव के फर्द पंचनामा एवं फर्द सूरतहाल लाश प्रदर्श–5, मृतक गौरव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–7, मृतक गणेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–22, फर्द निरीक्षण व पंचनामा मृतक गणेश प्रदर्श–24 के अवलोकन से प्रश्नगत दुर्घटना में आई चोटें के कारण गौरव व गणेश की मृत्यु होने का तथ्य दर्शित होता है।

29. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार याचिकाकर्तागण की ओर से जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसका कोई खण्डन विपक्षीगण की ओर से नहीं किया जा सका है। याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वाहन चालक विपक्षी संख्या–1 ने वाहन ट्रक नम्बर पीबी 10 सीडब्ल्यू 5695 को उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए गलत दिशा में आकर वाहन मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे.–37 एस.एन.–5577 के टक्कर मारी, जिसके कारण उक्त दुर्घटना में आई चोटों के कारण गौरव व गणेश की मृत्यु कारित हुई। वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या–1 प्रश्नगत वाहन का चालक व स्वामी होकर स्वयं के हितार्थ व लाभार्थ वाहन का परिचालन कर रहा था। इसलिये याचिकाकर्तागण विवाद्यक संख्या–1 व 2 को अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रहे है। अतः विवाधक संख्या–1 व 2 बहक याचिकाकर्तागण, विरूद्ध विपक्षीगण निर्णित किये जाते है।

विवाद्याक संख्या–3 :–

30. विवाद्यक संख्या–3 निम्न प्रकार से विरचित किया गया है किः–

''आया विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्तियों एवं विशेष विवरण में अंकित आपत्तियों का क्या प्रभाव है?''

31. इस विवाद्यक को साबित करने का भार विपक्षी संख्या–2 पर था। इस सम्बन्ध में दौराने बहस अधिवक्ता विपक्षी संख्या–2 का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि बीमा कम्पनी द्वारा वाहन पी.बी.–10 सी.डब्ल्यू. 5695 का किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम वाहन स्वामी से प्राप्त नहीं किया गया है। बीमा कम्पनी द्वारा वाहन संख्या पी.बी.–10 सी.डब्ल्यू. 5695 होण्डा एक्टिवा के लिए वाहन स्वामी से ऑनलाईन प्रीमियम ली गई है, जो कि वाहन स्वामी द्वारा बीमा कम्पनी

को धोखे में रखकर प्राप्त की गई है। बीमा कम्पनी द्वारा वाहन ट्रक संख्या पी. बी.–10–सी.डब्ल्यू. 5695 का कोई बीमा नहीं किया है। इस कारण बीमा कम्पनी का कोई दायित्व प्रतिकर राशि की अदायगी का नही बनता है।

32. उक्त तर्कों के संदर्भ में विपक्षी संख्या–2 की ओर से मौखिक साक्ष्य में एन.ए.–1 अमित सिंह को परीक्षित कराया गया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि बीमा कंपनी द्वारा वाहन स्वामी को दिनांक 08.09.2021 को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी ऑर्डर 12 रूल 08 नोटिस दिया गया था। वाहन स्वामी ने होडा एक्टिवा की पॉलिसी जरिये ऑनलाईन प्राप्त की, उसी पते पर नोटिस बीमा कंपनी द्वारा भेजा गया कि ''आपके द्वारा वाहन नंबर पी.बी 10 सी. डब्ल्यू 5695 को होडा एक्टिवा स्कूटी बताते हुए प्रीमियम 887 रुपये दिया गया है, जबकि वाहन गुड्स केरियिंग है, जिसका प्रीमियम 30,167/–रुपये बनता है। बकाया प्रीमियम 29,280/– रुपये 15 दिन के अंदर बीमा कंपनी में जमा करवाकर पॉलिसी प्राप्त कर लेवे। वाहन स्वामी द्वारा बीमा कंपनी के साथ धोखाधड़ी करके ऑनलाइन अपना वाहन नंबर पी.बी 10 सी. डब्ल्यू 5695 होडा एक्टिवा बताते हुए ऑनलाइन बीमा लिया गया है, जबकि वाहन गुड़स केयरिंग है। उपरोक्त प्रकरण में गुडस केयरिंग का बीमा नहीं होने के कारण याचिकाकर्तागण, विपक्षी संख्या–2 से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

33. उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान प्रीमियम रिकवरी लेटर प्रदर्श एन.ए.01, बीमा कंपनी द्वारा वाहन स्वामी को बीमा पॉलिसी निरस्त करने बाबत् दिया गया नोटिस प्रदर्श एन.ए–02, बीमा कंपनी द्वारा बीमा पॉलिसी निरस्त करने बाबत् परिवहन कार्यालय को दिया गया नोटिस प्रदर्श एन.ए–03, स्पीड पोस्ट ऑफिस द्वारा स्पीड पोस्ट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को बिल भेजा गया प्रदर्श एन.ए–04, मेल के साथ स्पीड पोस्ट को बिल की इनवॉइस प्रदर्श एन.ए–05, आई.आर.डी.ए का सर्कुलर प्रदर्श एन.ए–06, बीमा कंपनी के अभिभाषक द्वारा वाहन स्वामी को दिया गया नोटिस ऑर्डर 12 रूल 08 जो कि वाहन के रजिस्ट्रेशन में पता अंकित है, वहां दिया प्रदर्श एन.ए–07, ए.डी की रसीद प्रदर्श एन.ए–08, लौटकर प्राप्त हुई ए.डी. प्रदर्श एन.ए–09, प्रपोजल फॉर्म प्रदर्श एन. ए–10 एवं ऑनलाइन में पॉलिसी खरीदने का प्रोसेस टू–व्हीलर,

प्राइवेट कार और कॉमर्शियल प्रदर्श एन.ए–11 दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया है।

34. उक्त गवाह ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया कि कोर्ट का सम्मन आने के बाद उनके संज्ञान में आने पर प्रदर्श एन ए–01 जारी किया। गवाह ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श–14 पॉलिसी उनकी कंपनी द्वारा जारी की गई है, जो कि कस्टमर ने स्वयं ऑनलाइन खरीदी है, जिसमें उसने व्हीकल को होडा एक्टिवा बताया है। यह बात सही है कि उक्त पॉलिसी शुरू में एक्टिव थी। गवाह ने दौराने जिरह यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श–14 पॉलिसी घटना के वक्त एक्टिव थी, घटना के संज्ञान के बाद पॉलिसी निरस्त की गई।

35. इस प्रकार विपक्षी संख्या–2 की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्षी ने दुर्घटना दिनांक को वाहन संख्या पी.बी.–10–सी.डब्ल्यू. 5695 का बीमा उनकी कम्पनी द्वारा किया जाना स्वीकार किया है, किन्तु उक्त वाहन का बीमा उनकी कम्पनी द्वारा गुड्स व्हीकल के रूप में नहीं किया जाकर होण्डा एक्टिवा के लिए किया जाना बताया है। उक्त संदर्भ में यदि बीमा कवर नोट प्रदर्श–14 का अवलोकन करे तो उक्त बीमा कवर नोट होण्डा एक्टिवा संख्या पी.बी.–10–सी.डब्ल्यू. 5695 के लिए विपक्षी संख्या–2 के यहॉ से जारी किए जाने का तथ्य दर्शित होता, न कि वाहन ट्रक संख्या पी.बी.–10–सी.डब्ल्यू. 5695 के लिए।

36. उक्त संदर्भ में यदि विपक्षी संख्या–2 की ओर से प्रदर्शित दस्तावेजात का अवलोकन करे तो प्रीमियम रिकवरी लेटर प्रदर्श एन.ए.01 के अनुसार उक्त घटना के पश्चात् विपक्षी संख्या–2 द्वारा विपक्षी संख्या–1 को रिकवरी नोटिस दिया जाकर विपक्षी संख्या–1 द्वारा वाहन ट्रक संख्या पी.बी.–10–सी. डब्ल्यू. 5695 को होण्डा एक्टिवा के रूप में बताया जाकर बीमा कवर नोट प्रदर्श–14 प्राप्त करने एवं प्रश्नगत वाहन के गुड्स केरियर वाहन होने के कारण डिफरेंस मनी 29,280/–रूपये बीमा कम्पनी को अदा किए जाने हेतु रिकवरी लेटर जारी किए जाने का तथ्य दर्शित होता है।

37. इसी के साथ बीमा कंपनी द्वारा वाहन स्वामी को बीमा पॉलिसी निरस्त करने बाबत् दिये गये नोटिस प्रदर्श एन.ए–02, बीमा कंपनी द्वारा बीमा पॉलिसी निरस्त करने बाबत् परिवहन कार्यालय को दिये गये नोटिस प्रदर्श एन.ए–03,

स्पीड पोस्ट ऑफिस द्वारा स्पीड पोस्ट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को बिल भेजा गया प्रदर्श एन.ए–04, मेल के साथ स्पीड पोस्ट को बिल की इनवॉइस प्रदर्श एन.ए–05, आई.आर.डी.ए का सर्कुलर प्रदर्श एन.ए–06, बीमा कंपनी के अभिभाषक द्वारा वाहन स्वामी को दिये गये नोटिस ऑर्डर 12 रूल 08 प्रदर्श एन.ए–07, ए.डी की रसीद प्रदर्श एन.ए–08, लौटकर प्राप्त हुई ए.डी. प्रदर्श एन.ए–09, प्रपोजल फॉर्म प्रदर्श एन. ए–10 एवं ऑनलाइन में पॉलिसी खरीदने का प्रोसेस टू–व्हीलर, प्राइवेट कार और कॉमर्शियल प्रदर्श एन.ए–11 दस्तावेजात के अवलोकन से बीमा कम्पनी द्वारा विपक्षी संख्या–1 को रिकवरी नोटिस दिए जाने के बावजूद भी विपक्षी संख्या–1 द्वारा शेष रकम का भुगतान बीमा कम्पनी को नहीं किए जाने के कारण बीमा कम्पनी द्वारा उक्त पॉलिसी को निरस्त किए जाने का तथ्य दर्शित होता है।

38. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण पर यह स्वीकृत स्थिति है कि विपक्षी संख्या–1 द्वारा, विपक्षी संख्या–2 से ट्रक संख्या पी.बी.–10–सी.डब्ल्यू. 5695 को होण्डा एक्टिवा के रूप में बताया जाकर बीमा कवर नोट प्रदर्श–14 प्राप्त किया गया था, जबकि प्रश्नगत वाहन गुड्स केरियर था। हालांकि बीमा कवर नोट प्रदर्श–14 के अनुसार दुर्घटना दिनांक को उक्त पॉलिसी वाहन संख्या पी.बी.–10–सी.डब्ल्यू. 5695 के लिए प्रभावी थी, जिस तथ्य को विपक्षी संख्या–2 की ओर से प्रस्तुत साक्षी एन.ए.ड.–1 अमित सिंह ने स्वीकार किया है, किन्तु विपक्षी संख्या–1 द्वारा प्रश्नगत वाहन को गुड्स केरियर वाहन होने के बावजूद भी होण्डा एक्टिवा प्रदर्शित कर आनलाईन पॉलिसी प्राप्त किए जाने के कारण विपक्षी संख्या–1 द्वारा बीमा शर्तों का उल्लंघन किए जाने का तथ्य दर्शित होता है।

39. बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति अदायगी के दायित्व के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने एक सम्मानीय निर्णय **सिविल अपील संख्या 20962/17 पप्पू व अन्य बनाम विनोद कुमार लाम्बा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10–01–2018** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:–

> "the Insurance Company liable to discharge his liability arising from rash and negligent driving

by the driver of his vehicle. The Insurance Company can be fastened with the liability on the basis of a valid insurance policy only after the basic facts are pleaded and established by the owner of the offending vehicle - that the vehicle was not only duly insured but also that it was driven by an authorised person having a valid driving licence. Without disclosing the name of the driver in the Written Statement or producing any evidence to substantiate the fact that the copy of the driving licence produced in support was of a person who, in fact, was authorised to drive the offending vehicle at the relevant time, the owner of the vehicle cannot be said to have extricated himself from his liability. The Insurance Company would become liable only after such foundational facts are pleaded and proved by the owner of the offending vehicle."

"The next question is: whether in the fact situation of this case the insurance company can be and ought to be directed to pay the claim amount, with liberty to recover the same from the owner of the vehicle (respondent No.1)? This issue has been answered in the case of National Insurance Company Ltd. (supra). In that case, it was contended by the insurance company that once the defence taken by the insurer is accepted by the Tribunal, it is bound to discharge the insurer and fix the liability only on the owner and/or the driver of the vehicle. However, this Court held that even if the insurer succeeds in establishing its defence, the Tribunal or the Court can direct the insurance company to pay the award amount to the claimant(s) and, in turn, recover the same from the owner of the vehicle. The three-Judge Bench, after analysing the earlier decisions on the point, held that there was no reason to deviate from the said

well-settled principle. In paragraph 107 the Court then observed thus:"

"We may, however, hasten to add that the Tribunal and the court must, however, exercise their jurisdiction to issue such a direction upon consideration of the facts and circumstances of each case and in the event such a direction has been issued, despite arriving at a finding of fact to the effect that the insurer has been able to establish that the insured has committed a breach of contract of insurance as envisaged under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (2) of Section 149 of the Act, the insurance company shall be entitled to realize the awarded amount from the owner or driver of the vehicle, as the case may be, in execution of the same award having regard to the provisions of Sections 165 and 168 of the Act. However, in the event, having regard to the limited scope of inquiry in the proceedings before the Tribunal it has not been able to do so, the insurance company may initiate a separate action therefor against the owner or the driver of the vehicle or both, as the case may be. Those exceptional cases may arise when the evidence becomes available to or comes to the notice of the insurer at a subsequent stage or for one reason or the other, the insurer was not given an opportunity to defend at all. Such a course of action may also be resorted to when a fraud or collusion between the victim and the owner of the vehicle is detected or comes to the knowledge of the insurer at a later stage."

Further, in paragraph No.110, the Court observed thus: 110. The summary of our findings to the various issues as raised in these petitions are as follows:

(i) Chapter XI of the Motor Vehicles Act, 1988 providing compulsory insurance of

vehicles against third party risks is a social welfare legislation to extend relief by compensation to victims of accidents caused by use of motor vehicles. The provisions of compulsory insurance coverage of all vehicles are with this paramount object and the provisions of the Act have to be so interpreted as to effectuate the said object.

(ii) Insurer is entitled to raise a defence in a claim petition filed under Section 163A or Section 166 of the Motor Vehicles Act, 1988 inter alia in terms of Section 149(2)(a) (ii) of the said Act.

(iii) The breach of policy condition, e.g. disqualification of driver or invalid driving licence of the driver, as contained in Sub-section (2)(a)(ii) of Section 149, have to be proved to have been committed by the insured for avoiding liability by the insurer. Mere absence, fake or invalid driving licence or disqualification of the driver for driving at the relevant time, are not in themselves defences.

available to the insurer against either the insured or the third parties. To avoid its liability towards insured, the insurer has to prove that the insured was guilty of negligence and failed to exercise reasonable care in the matter of fulfilling the condition of the policy regarding use of vehicles by duly licensed driver or one who was not disqualified to drive at the relevant time,

(iv) The insurance companies are, however, with a view to avoid their liability must not only establish the available defence(s) raised in the said proceedings but must also establish 'breach' on the part of the owner of the vehicle; the burden of proof where for would be on them.

(v) The court cannot lay down any criteria as to how said burden would be discharged,

inasmuch as the same would depend upon the facts and circumstance of each case.

(vi) Even where the insurer is able to prove breach on the part of the insured concerning the policy condition regarding holding of a valid licence by the driver or his qualification to drive during the relevant period, the insurer would not be allowed to avoid its liability towards insured unless the said breach or breaches on the condition of driving licence is/are so fundamental as are found to have contributed to the cause of the accident. The Tribunals in interpreting the policy conditions would apply "the rule of main purpose" and the concept of "fundamental breach" to allow defences available to the insured under Section 149(2) of the Act.

(vii) The question as to whether the owner has taken reasonable care to find out as to whether the driving licence produced by the driver, (a fake one or otherwise), does not fulfil the requirements of law or not will have to be determined in each case.

(viii) xxx

(ix) xxx

(x) Where on adjudication of the claim under the Act the tribunal arrives at a conclusion that the insurer has satisfactorily proved its defence in accordance with the provisions of Section 149(2) read with Sub-section (7), as interpreted by this Court above, the Tribunal can direct that the insurer is liable to be reimbursed by the insured for the compensation and other amounts which it has been compelled to pay to the third party under the award of the tribunal Such determination of claim by the Tribunal will be enforceable and the money found due to the insurer from the insured will be recoverable on a certificate issued by the tribunal to the Collector in the

same manner under Section 174 of the Act as arrears of land revenue. The certificate will be issued for the recovery as arrears of land revenue only if, as required by Sub-section (3) of Section 168 of the Act the insured fails to deposit the amount awarded in favour of the insurer within thirty days from the date of announcement of the award by the tribunal.

(xi) The provisions contained in Sub-section (4) with proviso thereunder and Sub-section (5) which are intended to cover specified contingencies mentioned therein to enable the insurer to recover amount paid under the contract of insurance on behalf of the insured can be taken recourse of by the Tribunal and be extended to claims and defences of insurer against insured by, relegating them to the remedy before, regular court in cases where on given facts and circumstances adjudication of their claims inter se might delay the adjudication of the claims of the victims."(emphasis supplied)

40.इसी क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **2014(1) डी.एन.जे.(राज0) पेज 8 नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी बनाम मनोहरीदेवी** में पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में भी बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने व प्रतिकर राशि को मालिक व चालक से वसूल करने की विधि प्रतिपादित की गयी है।

41.**इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुरूप वक्त दुर्घटना ट्रक संख्या पी.बी. –10–सी.डब्ल्यू. 5695 विपक्षी संख्या–2 के यहॉ गुड्स केरियर वाहन के रूप में बीमित नहीं होकर होण्डा एक्टिवा के रूप में बीमित होने का तथ्य प्रमाणित होता है, किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में प्रतिपादित की गई विधि के परिप्रेक्ष्य में बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी के दायित्व से उन्मुक्त नहीं होती है, अपितु क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के पश्चात् उक्त राशि की वसूली चालक/मालिक से करने के लिये स्वतंत्र है।** अतः विवाद्यक संख्या–3 उपरोक्त विवेचनानुसार विनिश्चित किया

जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या–4</u>

42. अधिकरण द्वारा विवाद्यक संख्या–4 निम्न प्रकार से विरचित किया गया है किः–

> **''आया याचिकाकर्तागण, विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि 78,50,000, 78,50,000/–रूपये मय 12 प्रतिशत ब्याज से प्राप्त करने के अधिकारी है?''**

43. इस अधिनिर्णय के माध्यम से एम.ए.सी. प्रकरण संख्या **71/2022 व 97/2022** का निस्तारण किया जा रहा है। विवाद्यक संख्या–4 पर पृथक–पृथक विवेचन निम्न प्रकार से हैः–

<u>एम.ए.सी.प्र.सं. 71/2022 श्रीमती कुसुम व अन्य बनाम सत्येन्द्र सिंह व अन्य</u>

44. इस विवाद्यक के सम्बन्ध में याचिकाकर्तागण की ओर से ए.ड.–1 रामेश्वर लाल जो कि मृतक गौरव उर्फ अजय का पिता है, ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि उसका पुत्र मैकेनिकल डीजल का कार्य करके प्रतिमाह 20,000/–रूपये की आय अर्जित करता था। उसके पुत्र ने कौशल विकास एवं उद्यमिता, भारत सरकार से व्यवसायिक डिप्लोमा कर रखा था। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान मृतक गौरव के डिप्लोमा को प्रदर्श–21 के रूप में प्रदर्शित करवाया है। गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि उसने अपने पुत्र की मासिक आय व कार्य बाबत् कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है।

45. मोटर दुर्घटना प्रकरणों में प्रतिकर राशि के निर्धारण के लिये मृतक की आयु व आय दो महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करना होता है, जिनके आधार पर प्रतिकर राशि की गणना की जाती है। जहॉ तक मृतक गौरव उर्फ अजय की आयु का प्रश्न है, इस संबंध में याचिकाकर्तागण ने याचिका सहित साक्ष्य के दौरान वक्त दुर्घटना मृतक गौरव उर्फ अजय की आयु 22 वर्ष होने वर्णित किया है। याचिकाकर्तागण की ओर से मृतक गौरव उर्फ अजय का फर्द पंचनामा प्रदर्श–5, फर्द सुपुर्दगीनामा लाश प्रदर्श–6, पोस्टमोर्टम रिपोर्ट प्रदर्श–7 के रूप में प्रदर्शित करवाया है, जिसमें मृतक गौरव उर्फ अजय की आयु 22 वर्ष होना अंकित है। इसके साथ ही याचिकाकर्कर्तागण ने राष्ट्रीय व्यवसाय

प्रमाण–पत्र प्रदर्श–21 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है, जिसमें मृतक गौरव उर्फ अजय की जन्म तिथि 21–06–2000 होना अंकित किया गया है। यह एक लोक दस्तावेज है, जिस पर अविश्वास किए जाने का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार मृतक गौरव उर्फ अजय की जन्म तिथि दिनांक 21–06–2000 होने के आधार पर दुर्घटना दिनांक 17–08–2021 को मृतक गौरव उर्फ अजय की आयु 21 वर्ष 1 माह एवं 27 दिवस होने का तथ्य दर्शित होता है, जिसके खण्डन में विपक्षीगण की ओर से की गई ओर से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं गई। इस प्रकार वक्त दुर्घटना मृतक गौरव उर्फ अजय आयु **21** वर्ष होने का तथ्य अभिनिर्धारित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

46. याचिकाकर्तागण ने क्लेम याचिका में यह भी अभिकथित किया है कि मृतक गौरव उर्फ अजय वक्त मेकेनिकल डीजल का कार्य करके प्रतिमाह 20,000/–रूपये की आय अर्जित करता था, किन्तु याचिकाकर्तागण ने अपनी साक्ष्य के दौरान मृतक गौरव उर्फ अजय की आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया है, लेकिन याचिकाकर्तागण के द्वारा मृतक गौरव उर्फ अजय के डीजल मैकेनिक के कार्य में कुशल होने के सम्बन्ध में भी भारत सरकार के उपक्रम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र को प्रदर्श–21 के रूप में प्रदर्शित करवाया है। प्रमाण–पत्र प्रदर्श–21 के अवलोकन से मृतक गौरव उर्फ अजय द्वारा अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा उर्तीण करने का तथ्य दर्शित होता है। इसलिए राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी कुशल श्रमिक की न्यूनतम मासिक मजदूरी दर के आधार पर ही मृतक गौरव उर्फ अजय की मासिक आय अभिनिर्धारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकरण की दुर्घटना दिनांक **17–08–2021** की है एवं दुर्घटना की दिनांक को कुशल श्रमिक की न्यूनतम मासिक मजदूरी **7358/**–रूपये प्रभाव में थी। ऐसी स्थिति में न्यूनतम एवं नोशनल आय के सिद्वांत के आधार पर वर्तमान परस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में कुशल श्रमिक की मासिक आय **7358/**–रूपये अभिनिर्धारित है। अतः मृतक गौरव उर्फ अजय की आय प्रतिमाह **7358/**–रूपये होना अभिनिर्धारित किया जाता है।

47. याचिकाकर्तागण मृतक गौरव उर्फ अजय के आश्रित एवं वारिसान के द्वारा प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत याचिका के अवलोकन से याचिकाकर्ता संख्या–1 व 2 श्रीमती कुसुम व रामेश्वर लाल मृतक गौरव उर्फ अजय के माता–पिता है। इस प्रकार याचिकाकर्तागण संख्या–1 व 2 का मृतक पर आश्रित होने का तथ्य दर्शित होता है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार मृतक गौरव उर्फ अजय

पर कुल **02 व्यक्तियों का आश्रित** होना विनिश्चित किया जाता हैं।

48. मृतक की आश्रितता, आय व आयु का निर्धारण करने के पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्रीमती सरला वर्मा व अन्य बनाम दिल्ली ट्रासपोर्ट कारपोरेशन व अन्य A.I.R. 2009 (S.C.) 3104** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार वक्त दुघ टना मृतक गौरव उर्फ अजय की **आयु 21 वर्ष** थी, जो कि **गुणांक 18** के अन्तर्गत आता है। न्यायिक दृष्टांत **नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य A.I.R. 2017 (S.C.) पेज 4973** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक गौरव उर्फ अजय के आश्रितों की **संख्या—2** है। उसके आधार पर व्यक्तिगत खर्चो और जीवन निर्वाह के खर्चो का निर्धारण **1/2** और निम्न सारणी के अनुसार क्लेम राशि को तय किया जाना न्यायोचित प्रकट होता हैः—

1	Nature of deceased job.	**Self. Employed**
2	Marital status of deceased.	**Un-Married**
3	Number of Dependents.	**2**
4	Age of deceased in Years.	**21**
5	Monthly Income	**7358**
6	Annual Income (Monthly Income *12)	**88,296**
7	Addition Made in income (As per Pranay Sethi Cases)= **40%**	**35,318.4**
8	Total after Addition made	**1,23,614.4**
9	**Deduction towards personal and living expenses of the deceased. Amount mentioned at serial no. 8 Divided by = 1/2 (As per Sarla Case)**	**61,807.20**
10	Total after Deduction towards personal and living expenses of the deceases.	**61,807.20**
11	Multiplier (As per Sarla Case)= **18**	**11,12,529.60**
12	Lose of Dependency =	**11,12,529.60**
Reasonable Figures on Conventional Heads (As per Magma General Insurance Co. Ltd. v. Nanu Ram alias Chuhru Ram & Ors. 2018 ACJ 2782 and United India Insurance Co. Ltd. Vs Satinder Kaur @ Satwinder Kaur & Ors.2020 ACJ 2131 Case)		
13	1. Loss of estate	15,000.00
14	2. Loss of consortium (40000X2)	80,000.00
15	3. Loss of funeral	15,000.00
16	Total (Loss of Dependency + Conventional Heads)	**12,22,529.60**
17	Round off Total	**12,22,530/-**

49. उक्त सारणी के अनुसार मृतक गौरव उर्फ अजय के आश्रितगण/याचिकाकर्तागण क्लेम राशि **12,22,530/- (अक्षरे बारह लाख बाईस हजार पांच सौ तीस रूपये मात्र)** प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

एम.ए.सी.प्र.सं. 97/2022 श्रीमती संतोषदेवी व अन्य बनाम सत्येन्द्र सिंह व अन्य

50. इस विवाद्यक के सम्बन्ध में याचिकाकर्तागण की ओर से ए.ड.–3 जगदीश, जो कि मृतक गणेश का पिता है, ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि उसका पुत्र कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य करके प्रतिमाह 20,000/–रूपये की आय अर्जित करता था। उसके पुत्र ने कौशल विकास एवं उद्यमिता, भारत सरकार से व्यवसायिक डिप्लोमा कर रखा था। गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि उसने अपने पुत्र की मासिक आय व कार्य बाबत् कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है।

51. मोटर दुर्घटना प्रकरणों में प्रतिकर राशि के निर्धारण के लिये मृतक की आयु व आय दो महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करना होता है, जिनके आधार पर प्रतिकर राशि की गणना की जाती है। जहॉ तक मृतक गणेश की आयु का प्रश्न है, इस संबंध में याचिकाकर्तागण ने याचिका सहित साक्ष्य के दौरान वक्त दुर्घटना मृतक गणेश की आयु 22 वर्ष होने वर्णित किया है। याचिकाकर्तागण की ओर से मृतक गणेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–22 व फर्द निरीक्षण लाश व पंचनामा प्रदर्श–24 के रूप में प्रदर्शित करवाया है, जिसमें मृतक गणेश की आयु वक्त दुर्घटना 19 वर्ष होना अंकित है, किन्तु याचिकाकर्तागण ने मृतक की आयु वक्त दुर्घटना 22 वर्ष होना बताया है, जिसका खण्डन में विपक्षीगण की ओर से की गई ओर से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं गई। इस प्रकार वक्त दुर्घटना मृतक गणेश की आयु **22** वर्ष होने का तथ्य अभिनिर्धारित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

52. याचिकाकर्तागण ने क्लेम याचिका में यह भी अभिकथित किया है कि मृतक गणेश कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य करके प्रतिमाह 20,000/–रूपये की आय अर्जित करता था, किन्तु याचिकाकर्तागण ने अपनी साक्ष्य के दौरान मृतक गणेश के कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य करने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया है। इसलिए राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मासिक मजदूरी दर के आधार पर ही मृतक गणेश की मासिक आय अभिनिर्धारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकरण की दुर्घटना दिनांक **17–08–2021** की है एवं दुर्घटना की दिनांक को अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मासिक मजदूरी

6734/–रूपये प्रभाव में थी। ऐसी स्थिति में न्यूनतम एवं नोशनल आय के सिद्वांत के आधार पर वर्तमान परस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अकुशल श्रमिक की मासिक आय **6734/–**रूपये अभिनिर्धारित है। अतः मृतक गणेश की आय प्रतिमाह **6734/–**रूपये होना अभिनिर्धारित किया जाता है।

53. याचिकाकर्तागण मृतक गणेश के आश्रित एवं वारिसान के द्वारा प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत याचिका के अवलोकन से याचिकाकर्ता संख्या–1 व 2 क्रमशः श्रीमती संतोष देवी व जगदीश मृतक गणेश के माता–पिता है। इस प्रकार याचिकाकर्तागण संख्या–1 व 2 का मृतक पर आश्रित होने का तथ्य दर्शित होता है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार मृतक गणेश पर कुल **02 व्यक्तियों का आश्रित** होना विनिश्चित किया जाता हैं।

54. मृतक की आश्रितता, आय व आयु का निर्धारण करने के पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्रीमती सरला वर्मा व अन्य बनाम दिल्ली ट्रासपोर्ट कारर्पोरेशन व अन्य A.I.R. 2009 (S.C.) 3104** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार वक्त दुर्घटना मृतक गणेश की **आयु 22 वर्ष** थी, जो कि **गुणांक 18** के अन्तर्गत आता है। न्यायिक दृष्टांत **नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य A.I.R. 2017 (S.C.) पेज 4973** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक गणेश के आश्रितों की **संख्या–2** है। उसके आधार पर व्यक्तिगत खर्चों और जीवन निर्वाह के खर्चों का निर्धारण **1/2** और निम्न सारणी के अनुसार क्लेम राशि को तय किया जाना न्यायोचित प्रकट होता हैः–

1	Nature of deceased job.	**Self. Employed**
2	Marital status of deceased.	**Un-Married**
3	Number of Dependents.	**2**
4	Age of deceased in Years.	**22**
5	Monthly Income	**6734**
6	Annual Income (Monthly Income *12)	**80,808**
7	Addition Made in income (As per Pranay Sethi Cases)= **40%**	**32,323.20**
8	Total after Addition made	**1,13,131.20**
9	Deduction towards personal and living expenses of the deceased. Amount mentioned at serial no. 8 Divided by = 1/2 (As per Sarla Case)	**56,565.60**
10	Total after Deduction towards personal and living expenses of the deceases.	**56,565.60**

11	Multiplier (As per Sarla Case)= **18**	**10,18,180.80**
12	Lose of Dependency =	**10,18,180.80**
Reasonable Figures on Conventional Heads (As per Magma General Insurance Co. Ltd. v. Nanu Ram alias Chuhru Ram & Ors. 2018 ACJ 2782 and United India Insurance Co. Ltd. Vs Satinder Kaur @ Satwinder Kaur & Ors.2020 ACJ 2131 Case)		
13	1. Loss of estate	15,000.00
14	2. Loss of consortium (40000X2)	80,000.00
15	3. Loss of funeral	15,000.00
16	Total (Loss of Dependency + Conventional Heads)	**11,28,180.80**
17	Round off Total	**11,28,180/-**

55. उक्त सारणी के अनुसार मृतक गौरव उर्फ अजय के आश्रितगण/याचिकाकर्तागण क्लेम राशि **11,28,180/- (अक्षरे ग्यारह लाख अठाईस हजार एक सौ अस्सी रूपये मात्र)** प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

56. प्रश्नगत दुर्घटना विपक्षी सं. 1 चालक/वाहन स्वामी द्वारा स्वयं के नियोजन में कार्य करने के दौरान कारित हुई है। इसलिए याचिकाकर्तागण उपरोक्त वर्णितानुसार प्रतिकर राशि विपक्षीगण से संयुक्त रूप से एवं पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी है।

<u>अनुतोषः</u>

57. याचिकाकर्तागण ने उक्त क्षतिपूर्ति राशि को 12 प्रतिशत ब्याज की दर से दिलाये जाने का निवेदन किया है, लेकिन 12 प्रतिशत ब्याज की दर अत्यधिक है। इस संबंध में **पुट्टमा बनाम के.एल.नारायण रेड्डी A.I.R. 2014 (S.C.) 165 धर्मपाल व अन्य बनाम यू.पी.स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कोरपोरेशन A.I.R. 2008 (S.C.) 2312** में राष्ट्रीयकृत बैंक की ब्याज दर के अनुसार ही ब्याज दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार इस अधिकरण के विन्रम मत में याचिका संख्या **71/2022** के याचिकाकर्तागण श्रीमती कुसुम व अन्य विपक्षीगण से संयुक्त रूप से एवं पृथकतः **12,22,530/- (अक्षरे बारह लाख बाईस हजार पांच सौ तीस रूपये मात्र)** एवं याचिका संख्या **97/2022** के याचिकाकार्तागण श्रीमती संतोष देवी व अन्य विपक्षीगण से संयुक्त रूप से पृथक्तः **11,28,180/- (अक्षरे ग्यारह लाख अठाईस हजार एक सौ अस्सी रूपये मात्र)** याचिकाएं पेश करने की दिनांक **17–05–2022** से भुगतान की दिनांक तक **5.50** प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत

होता है।

–:: पंचाट ::–

58. परिणामतः याचिकाकर्तागण श्रीमती कुसुम व अन्य एवं श्रीमती संतोषदेवी व अन्य की याचिकाएं आंशिक रूप से विपक्षीगण के विरूद्ध संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से स्वीकार की जाकर यह अंतिम पंचाट इस प्रकार से पारित किया जाता है कि याचिका संख्या **71/2022** के याचिकाकर्तागण श्रीमती कुसुम व अन्य विपक्षीगण से संयुक्त रूप से एवं पृथकतः **12,22,530/- (अक्षरे बारह लाख बाईस हजार पांच सौ तीस रूपये मात्र)** एवं याचिका संख्या **97/2022** के याचिकाकार्तागण श्रीमती संतोष देवी व अन्य विपक्षीगण से संयुक्त रूप से पृथक्तः **11,28,180/- (अक्षरे ग्यारह लाख अठाईस हजार एक सौ अस्सी रूपये मात्र)** याचिकाएं पेश करने की दिनांक **17–05–2022** से भुगतान की दिनांक तक **5.50** प्रतिशत साधारण ब्याज सहित प्रतिकर स्वरूपः प्राप्त करने के अधिकारी है।

59. याचिकाकर्तागण को यदि धारा 140 मोटर वाहन अधिनियम के तहत अंतरिम प्रतिकर के रूप में राशि का भुगतान किया गया है तो उक्त राशि अंतिम पंचाट की राशि में समायोजित होगी।

60. अतः विपक्षी संख्या–2 को यह आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त याचिकाओं की प्रतिकर राशि व ब्याज की राशि इस पंचाट की तिथि से दो माह की अवधि में निम्नानुसार याचिकाकर्तागण के खाते में अदा करे। विपक्षी संख्या–2 क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के पश्चात् उक्त राशि की वसूली चालक/मालिक से करने के लिये स्वतंत्र है।

याचिका संख्या	याचिकाकर्ता का नाम	बैंक का नाम एवं खाता संख्या	IFSC Code	राशि प्रतिशत/रूपये में
71/2022	श्रीमती कुसुम	-	-	**50%**
	रामेश्वरलाल	-	-	**50%**
97/2022	श्रीमती संतोषदेवी	-	-	**50%**
	जगदीश	-	-	**50%**

61. **याचिका संख्या 71/2022 की याचिकाकर्ता श्रीमती कुसुम व अन्य एवं याचिका संख्या 97/2022 के याचिकाकर्तागण श्रीमती संतोषदेवी व अन्य की ओर से अपने**

बैंक खातों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि याचिकाकर्तागण द्वारा सात दिवस के भीतर अपने बैंक खाते का विवरण इस न्यायालय/सम्बंधित बीमा कम्पनी के प्रस्तुत कर दिए जाते है तो सम्बंधित बीमा कम्पनी उपरोक्त वर्णितानुसार क्षतिपूर्ति राशि उनके बैंक खाते में जमा करावे। यदि याचिकाकर्तागण इस निर्णय की दिनांक से सात दिवस के भीतर अपने बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत नहीं करते है तो याचिकाकर्तागण को निर्णय की तिथि के पश्चात् का ब्याज देय नहीं होगा।

62. बैंक में उक्त राशियॉ जमा होने के पश्चात् न्यायालय द्वारा जमा राशियों के नकद भुगतान/सावधि जमा योजना के तहत जमा किए जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किए जाने के पश्चात् ही याचिकाकर्तागण न्यायालय के आदेशानुसार राशि प्राप्त करेंगे। इस न्यायालय के आदेश के बिना सम्बंधित बैंक, याचिकाकर्तागण को किसी भी राशि का भुगतान नहीं करेगा। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

(सुन्दर लाल खारोल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
कुचामन सिटी जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0)

39. अधिनिर्णय आज दिनांक 14–05–2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(सुन्दर लाल खारोल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
कुचामन सिटी जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0)